न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

रिव्यू प्रार्थना पत्र सं.– 03/2024
जीसीएमएस सख्या – 2024/160

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण :–

1. अशोक कुमार उर्फ देवीलाल पुत्र मगराज उर्फ आज्ञाराम, जाति केला, निवासी ग्राम तेना, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
2. रामस्वरूप पुत्र मगराज उर्फ आज्ञाराम जाति केला, निवासी ग्राम तेना, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर व्यापारिक स्थल– बी. 408, समजुबा पैलेस, जलवन्त टाउनशिप के पास, सुरत (गुजरात)।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1 श्री देवीलाल उर्फ फतहलाल पुत्र आईदान, जाति केला, निवासी कांकरियो का बास, ग्राम तिंवरी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

2 सरपंच, ग्राम पंचायत तेना, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र बाबत पुनर्विलोकन अंतर्गत आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता सपठित धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 बाबत आदेश दिनांक 10.07.2019 न्यायालय अपर जिला कलक्टर, (प्रथम) जोधपुर द्वारा पारित।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री हेमन्त दत्त, रीनू दत्त, निरंजन पटेल (प्रार्थीपक्ष की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बूब, भरत बूब (अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री हरेन्द्र सिंह ईन्दा (अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से)

आदेश **दिनांक : 29.01.2025**

1. हस्तगत नजरसानी (Review) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 (3) सपठित आदेश – 47 नियम –1 सीपीसी 1908 के अंतर्गत न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 33/2016 शीर्षक देवीलाल उर्फ फतहलाल बनाम रामस्वरूप वगैरह में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 18:09:37 IST
Reason: SelfAttested

पारित निर्णय दिनांक 10.07.2019 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 14.10.2019 को प्रस्तुत की गई है। उक्त पंचायत निगरानी 1994 के अधिनियम की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत तेना, के संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.09.2004 मिसल संख्या 18/2004–05 में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.11.2004 को निरस्त करने हेतु देवीलाल उर्फ फतेहलाल ने दिनांक 16.05.2016 को पेश की थी। जिसे न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2019 से स्वीकार की गई तथा ग्राम पंचायत तेना द्वारा दिनांक 05.11.2004 को श्री मगराज के नाम से जारी पट्टा सख्या 24 (484.44 क्षेत्रफल वर्गगज) को निष्प्रभावी व खारिज किया गया।

2. उभयपक्ष के योग्य अधिववक्ता की बहस दिनांक 30.12.2024 सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 29.01.2025 को आदेश हेतु रखी गई।

3. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने नजरसानी मीमो में उल्लेखित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2019 में दृष्टव्य त्रुटि होने से प्रकरण में पुनः परीक्षण आवश्यक है। योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि रिव्यू के समस्त आधार प्रार्थना पत्र में अंकित कर दिए है तथा दिनांक 05.10.2021 को लिखित बहस भी अप्रार्थी अधिवक्ता को प्रति देकर पेश कर दी गई है।

माननीय न्यायालय ने दिनांक 10.07.2019 को निगरानी में निर्णय पारित करते समय इस बिन्दुओं के बारे में नजरसानीधीन निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। अतः माननीय न्यायालय ने त्रुटि कारित करते हुए निर्णय पारित किया है जो कि " error apparent on the face of record" की परिभाषा में आने से नजरसानी प्रार्थना पत्र के आधार पर इसमें पुनराविलोकन आवश्यक है, अतः आक्षेपित नजरसानीधीन निर्णय को निरस्त किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 2, सरपंच ग्राम पंचायत ने लिखित बहस दिनांक 07.05.2024 को पेश कर कथन किया कि ग्राम पंचायत ने विधिक प्रक्रिया अपनाकर पुराने कब्जे के आधार पर उस समय प्रचलित नियमों के तहत आक्षेपित पट्टा जारी किया है। पट्टे की जमीन पर मगराज का पुराना कब्जा साबित करने की पूरी जांच की गई। [illegible] का विधिवत् पंजीयन कराया तथा रिपेयरिंग भी पंचायत की अनुमति [illegible] कराई है, अतः पंचायत निगरानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 18:09:37 IST
Reason: SelfAttested

खारिज की जावे। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस में लिखित बहस के कथनो को दोहराया गया।

5. अप्रार्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता श्री ओ.पी.बूब ने कथन किया कि निगरानी याचिका को निर्णित करते समय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड, का भलीभांति परीक्षण किया है तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पेश लिखित बहस में अंकित सभी आक्षेपों पर गौर कर विधि प्रावधानों के तहत निर्णय पारित किया है। प्रार्थी ने जिन तथ्यों को नजरसानी में उठाया है, उन पर नजरसानी में विचार नहीं किया जा सकता है। नजरसानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है। नजरसानी की आड़ में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2019 को पारित निर्णय का एवं प्रार्थी की लिखित बहस, नजरसानी प्रार्थना पत्र व अन्य रिकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन/मनन किया।

7. हस्तगत नजरसानी आवेदन पत्र अधिनियम 1994 की धारा 97 एवं आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया है। धारा 97(3) का मूल पाठ इस प्रकार हैः– The State Government may, of its own motion or on an application received from any person interested, at any time within ninety days of the passing of the order under sub section (1), Review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law in ignorance of any material fact. The provisions contained in the **proviso** to sub section (1) and in sub section (2), shall apply to a proceeding under this sub section.

उपर्युक्त प्रावधानानुसार राज्य सरकार स्वःप्रेरणा से या हितबद्व व्यक्ति के आवेदन पर निर्धारित समय सीमा 90 दिन के भीतर पारित आदेश को रिव्यू कर सकेगा, अगर जो तथ्य या विधि की भूल से पारित किया गया हो या किसी सारवान तथ्य को नजरअंदाज कर पारित कर दिया गया हो तथा आदेश को रिव्यू किया जा सकेगा। रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का एक मात्र आधार यही हो सकता है कि रिकार्ड पर कोई भूल (mistake) स्पष्टतया परिलक्षित होती हो या नये तथ्यों के आधार पर या जिन तथ्यों का निस्तारण हो चुका है, उन्हीं आधार से रिव्यू किये जाने का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 18:09:37 IST
Reason: SelfAttested

आधार नहीं हो सकता। नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है और नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नही किया जा सकता है। नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जा सकता है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में प्रावधान दिये गये है। उक्त विधिक स्थिति के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्तों का उल्लेख करना समीचीन होगा।

(1)2005(1) RRT 545 (सुरेन्द्र कुमार वकील बनाम CEO M.P. व अन्य में यहां तक प्रतिपादित किया है कि "view taken in the judgement may be erroneous or erroneous view taken but can not be a ground for review. 2007 AIR (Raj.) 73 बिन्दु जो निर्णित व सुना जा चुका हो उसका रिव्यू नहीं हो सकता।

(2) AIR 1995 S.C. 455, में प्रतिपादित किया है कि नजरसानी के प्रावधान अपील का स्थान नहीं ले सकती। 2019 RBJ 217, 2017 RBJ 4967, 2014 (1) RRT 16

(3) 2005 RBJ (12) 290- में निम्नप्रकार मत प्रतिपादित किया है:–
" The scope of review is very limited. It has been clearly held in catena of cases that a Judgement order may be open to review under 47 Rule 1 cpc, if there is a mistake or an error apparent on the face of record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In execrice of jurisdiction under order 47 rule 1 c.p.c., it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is a clear distinction between "an erroneous decision" and "an error apparent on the face of record" while the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and can not be allowed to be an appeal in disguise.

8. प्रार्थी ने निगरानी को प्रारंभतः अस्वीकार करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 दिनांक [illegible].09.2016 को पेश की, आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 18:09:37 IST
Reason: SelfAttested

10.10.2016 से खारिज की गई तथा न्यायालय ने हितबद्व नहीं होने के आक्षेप को निस्तारित करते हुए स्वयं प्रेरणा से भी निगरानी सुनने का अधिकार होना निर्णित किया।

इसी प्रकार प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 (2) अधिनियम 1994 पेश किया जिसे भी न्यायालय ने आदेश दिनांक 05.02.2018 से अस्वीकार किया। उक्त दोनों आदेश दिनांक 10.10.2016 व 05.02.2018 के विरूद्व प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3529/2018 पेश की। माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 07.03.2019 से प्रार्थी की उक्त याचिका को अस्वीकार कर दिया तथा इस न्यायालय को अधिनियम, 1994 की धारा 97 (2) के तहत निगरानी को सुनने का अधिकार होना प्रतिपादित किया। साथ ही याची को उसके आक्षेप दौराने बहस इस न्यायालय के समक्ष उठाने की स्वतंत्रता दी।

9. प्रार्थी ने दिनांक 13.05.2019 को अन्तिम लिखित बहस पेश की, जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार हैः–

(a) याचिका सम्पति के बंटवारा से संबंधित है, अतः न्यायालय को प्रकरण को सुनने का अधिकार नहीं है।

(b) याची हितबद्व व्यक्ति नहीं है, अतः इसे याचिका पेश करने का अधिकार नहीं है।

(c) पट्टाधारी मगराज के अन्य वारिसों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है।

(d) याचिका के साथ पंचायत द्वारा पारित संकल्प संख्या 4 संलग्न नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

(e) याचिका परिसीमा से बाधित है। याची ने झूठे कथन किए है।

(f) याचिका 4208 दिनों की देरी से पेश की है।

(g) याची का पिता जीवित है, अतः याचिका उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती।

(h) याची संदिग्ध व्यक्ति है। देवीलाल व फतेहलाल अलग–अलग व्यक्ति है तथा फर्जी नाम से याचिका पेश की है।

(i) बलदेवराम जी ने अपनी अर्जित सम्पति में से 4360 वर्ग फीट भूमि प्रार्थी के पिता मगराज को हस्तांतरित की है, जिसे अब आक्षेपित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 18:09:37 IST
Reason: SelfAttested

करने का याची को कोई अधिकार नहीं है, क्योकि याची के पिता आईदान ने कभी एतराज नहीं किया तथा नियम 157 (ब) के तहत पुराने निर्माण के आधार पर जारी पट्टा वैध है।

(j) बलदेव राम की शेष – 7575 वर्ग फीट भूमि का पट्टा याची के पिता आईदान ने अपने नाम गलत जारी करवाया है क्योंकि उसमें मगराज का भी हित है। यह पट्टा–निगरानी संख्या 13/2015 से चैलेंज किया गया है।

(k) प्रार्थी का कब्जा पुराना है। पंचायत के समक्ष मगराज ने समस्त उपलब्ध साक्ष्य पेश कर दिये थे, उन्ही के आधार पर पंचायत ने यह पट्टा बाद जांच जारी किया है।

(l) पंचायत ने नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अपना कर पुराना निर्माण होना मानकर पट्टा जारी किया है। सन् 2004 में नियमों में 200 रूपये लेकर नियम 157(ब) के तहत यहीं प्रावधान था।

(m) पुराना कच्चा निर्माण ध्वस्त कर दिनांक 14.11.2006 की अनुमति से रिपेयरिंग का काम करवाया है। पुराने बिजली के बिल, राशनकार्ड एवं अन्य दस्तावेज से पुराना कब्जा साबित है जो सन् 1971 से प्रमाणित है।

(n) मगराज व आईदान दोनों को ही ग्राम पंचायत ने एक ही दिन में अलग–अलग पट्टे जारी किए परन्तु दोनो के प्रकरणों में अन्य व विधिक स्थिति भिन्न है।

मगराज को जिस भूमि का पट्टा दिया है, वह बलदेव जी ने अपनी स्वंय अर्जित सम्पति में से मगराज को हस्तांतरित की है जबकि आईदान को जिस भूमि का पट्टा दिया है, वह अविभाजित है, जिसमें मगराज का भी हित है, अकेले आईदान को पट्टा नहीं दिया जा सकता है। 2004 में आईदान का ही कब्जा हो, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसका विधिवत् बंटवाड़ा नहीं हुआ है। पंचायत ने विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही जारी किया है, जो खारिज योग्य है।

10. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कथनों से यह तथ्य उजागर होता है कि दोनों पक्ष आपस में चचेरे भाई है तथा बलदेवराम की सम्पति को लेकर आपस में संघर्षरत है तथा पारिवारिक विवादों का निपटारा इस याचिका के जरिये करवाना चाहते है, जिसको सुनने व न्याय निपटाने में यह न्यायालय सक्षम नहीं है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2019 की क्रियान्विति

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 18:09:37 IST
Reason: SelfAttested

में विलम्बन करने हेतु यह पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे प्रथमतः error apparent on the face of record जाहिर हो तथा न्यायालय ने उन तथ्यों को निस्तारित नहीं किया हो। क्योंकि इस न्यायालय को निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की औचित्यता वैधानिकता का परीक्षण करना है, जो न्यायालय ने सुसंगत साक्ष्यों, अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद ही आदेश दिनांक 10.07.2019 पारित किया है।

11. ज्ञातव्य है कि प्रार्थी अशोक कुमार नजरसानी ने भी इसी विवादित पट्टे की भूमि से लगती हुई भूमि पर निगरानी कर्ता के पिता आईदान के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 5 मिसल संख्या 1/2004–05 दिनांक 20.09.2004 से जारी, को निरस्त करवाने हेतु निगरानी संख्या 13/2015 इसी न्यायालय में पेश की थी, जो निर्णय दिनांक 16.08.2016 से स्वीकार की जाकर 841.66 वर्गगज भूमि का पट्टा निरस्त किया गया। उक्त आदेश दिनांक 16.08.2016 के विरूद्व आईदान ने भी एक रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 10/2016 इस न्यायालय में पेश किया था, जो इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.12.2016 से खारिज किया जा चुका है। उसमें भी न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया था कि ग्राम पंचायत को सन् 2004 में 150 वर्गगज तक की भूमि का ही पट्टे देने का अधिकार था, परन्तु ग्राम पंचायत ने 841.66 वर्गगज का पट्टा दिया है, जो गलत है तथा पट्टा निरस्त का आदेश पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में निगरानी स्वीकार करने का आधार 150 वर्गगज से अधिक का पट्टा देने से पट्टा खारिज किया गया है। जिसके विरूद्व यह नजरसानी अशोक कुमार ने देवीलाल के विरूद्व पेश की है, जो आईदान का पुत्र है, अपने दादा बलदेवराम की सम्पति को लेकर संघर्षरत है। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि निर्णय त्रुटिपूर्ण "erroneous" होने की स्थिति में भी नजरसानी का आधार नहीं हो सकता है।

12. हस्तगत प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रकरण में याची द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड, ग्राम पंचायत से मूल पत्रावली तलब कर तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कथनो का मनन एवं परीक्षण करने के बाद कानूनी प्रावधानो के संदर्भ में यह पाया कि ग्राम पंचायत को वर्ष 2004 में मात्र 150 वर्गगज तक की भूमि का पट्टा देने का अधिकार था फि[illegible]यत ने 484.44 वर्गगज का पट्टा मात्र 200 रूपये की [illegible] लेकर जा[illegible] किया है, जो नियमों के विपरीत है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 18:09:37 IST
Reason: SelfAttested

तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा विवादग्रस्त आबादी भूमि का पट्टा विलेख हासिल करने हेतु पुनः आवेदन करने पर कानूनी प्रावधानो की अक्षरशः पालना करते हुए निस्तारण करें। प्रार्थी द्वारा नजरसानी में उठाए गए समस्त आक्षेप निगरानी में भी उठाए थे, जिन पर न्यायालय ने विचार कर लिया है। दोनो पक्षों के कथन संक्षिप्त में निर्णय में अंकित करके उन पर मनन किया गया है, उसके पश्चात निर्णय पारित किया है उन्हे नजरसानी के माध्यम से पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए साक्ष्य व रिकार्ड के आधार पर निर्णय पारित किया है। न्यायालय का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की वैधता, औचित्य एवं अपनाई गई प्रक्रिया तक ही सीमित था। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र 13 पृष्ठों में व लिखित बहस 20 पृष्ठों के पेज की है तथा उनके पूरे कथन फैसले में वर्णित करवाना चाहता है जो दोनो पक्षों के आपसी पारिवारिक व साम्पतिक विवादों से सम्बन्धित है। न्यायालय ने उनके समक्ष विचाराधीन विवाद के निस्तारण हेतु आवश्यक सुसंगत कथनो का परीक्षण कर लिया है। नजरसानी में ऐसा कोई बिन्दु नहीं है जिससे यह मामला नजरसानी के लिए बनाए गए नियमों के तहत विचारणीय हो। हम माननीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की सहज दृष्टव्य त्रुटि (error apparent on the face of record) नहीं पाते है, ना ही कोई तथ्यात्मक विधिक बिन्दु अनिर्णित है। फलतः हस्तगत नजरसानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो। मूल पत्रावली रिकार्ड रूम को लौटाई जावे।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 18:09:37 IST
Reason: SelfAttested